भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–122/2017–18

श की तिथि	आदेश	आदेश प कार्रवाई टिप्पणी ता
20.06.2018	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सोनुआ के पत्रांक 238, दिनांक 14.06.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 19.06.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, सोनुआ ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **श्री सुखदेव नायक**, पिता–**स्व0 सिद्धेश्वर नायक**, जाति–**गोंड** **(अ.ज.जा.)** ग्राम–**बालजोड़ी**, पो0–**सोनुआ**, थाना–**सोनुआ**, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा–**बालजोड़ी**, थाना नं0–**574**, खाता नं०–**309**, प्लॉट नं0–**798**, रकवा **0.02** ए0, क्रेता **आरती नायक**, पति–**टिकम प्रसाद नायक**, जाति–**गोंड** **(अ.ज.जा.)**, ग्राम–**बालजोड़ी**, पो0–**सोनुआ**, थाना–**सोनुआ**, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया। जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **श्री सुखदेव नायक**, पिता–**स्व0 सिद्धेश्वर नायक**, जाति–**गोंड** **(अ.ज.जा.)** ग्राम–**बालजोड़ी**, पो0–**सोनुआ**, थाना–**सोनुआ**, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना–**सोनुआ** के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों जाति **गोंड** **(अ.ज.जा.)** समुदाय के सदस्य है। विक्रेता उक्त वर्णित भूमि कृषि/घरेलु कार्य, सामाजिक रीति–रिवाज एवं इलाज हेतु बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को सोनुआ अंचल अंतर्गत रकवा–**4.54** ए0 अवशेष भूमि बचता है । अंचल अधिकारी, **सोनुआ** द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता **आरती नायक**, पति–**टिकम प्रसाद नायक**, जाति–**गोंड** **(अ.ज.जा.)**, ग्राम–**बालजोड़ी**, पो0–**सोनुआ**, थाना–**सोनुआ**, जिला प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की **स्वीकृति** छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। लेखापित भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर	